

राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)

राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)

1. तहसीलदार, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमाद शीघ्र किया जाकर पाना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को संबन्धी।

प्रतिपि :-

क्रमांक: सविस्ता/5-11(22)/2023 दिनांक :-

राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)



1.	राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान
क.सं.	मौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड से दर्ज की जानी है)

आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमाद किये जाने का राजस्थान व जिना **विशुद्धी** की जमाबन्दी सम्वत् **2077** में खाला संख्या **96** में वर्तमान में दर्ज निरीक्षक वृत्त **कद** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **राजस्थान** की राजस्व अर्जशा के आधार पर प्रार्थी के "खाला शुद्धी" प्रार्थना पर एव पटवारी, पटवार हल्का **कद** में अभिलेख

प्रमाण :- 22/01/2023

:- आदेश :-

राजस्थान राजों के संग
 अधिपाल-2023

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

राजस्थान सरकार
 राजस्थान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राजस्थान

